

मांग संख्या .
मुख्य शीर्ष 2049

मद क्रमांक 1

यू.आई.डी.एफ. अंतर्गत ब्याज भुगतान हेतु आकस्मिकता निधि से ₹ 100 का प्रतीक अग्रिम स्वीकृत किया गया है ।

अतः आकस्मिकता निधि से लिये गये अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु ₹ 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।